




राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं० 0141-2744283, फ़ैक्स नं० 0141-2740568, ईमेल आईडी-rsscjalpur@gmail.com



क्रमांक : एफ-9/खेल उपकरण (2)/स्टोर/2022-23/332

दिनांक : 22/03/23


ई-निविदा संख्या 47.../2022-23 दिनांक 22/03/2023

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद की ओर से निर्माता/अधिकृत विक्रेताओं से राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरणों की आपूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में द्वि-प्रकामी बोली यथा तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है। संबंधित पूर्ण विवरण वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> एवं <http://sppp.raj.nic.in> तथा www.rssc.in पर देखा जा सकता है।

विवरण	:	निर्दिष्ट राशि एवं समय
1. अनुमानित लागत	:	15.00 लाख रुपये
2. निविदा डाउनलोड प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	:	दिनांक 22.03.2023 समय 04:00 PM
3. निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	:	दि. 05.04.2023 दोपहर 1:00 बजे तक
4. नमूने जमा कराने की तिथि एवं समय	:	दि. 05.04.2023 दोपहर 2:00 बजे तक
5. तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	दि. 05.04.2023 को 03:00 PM बजे

क्र. सं.	शुल्क का विवरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	जमा कराने की दिनांक	देय
1	निविदा शुल्क	500/- रुपये	डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक	दिनांक 05.04.2023	सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर
2	धरोहर राशि	अनु. लागत का 2 प्रतिशत राशि रुपये 30,000/-	डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक	दोपहर 02:00 बजे तक	सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर
3	ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क	500/- रुपये	डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक		Managing Director RISL (Payable at Jaipur)

शुल्क एवं अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर कार्यालय के मुख्य रोकड़पाल के पास दिनांक 05.04.2023 समय अपराहन 2:00 बजे तक पत्र के साथ ऑफलाईन जमा कराने होंगे


(डॉ० गोरखन लाल शर्मा)
आर.ए.एस
सचिव





राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

कार्यालय पुराण नं० 0141-2744203, फौवरा नं० 0141-2740500, ईमेल आईडी-rsscjalpur@gmail.com



क्रमांक : एफ-9/खेल उपकरण (2)/स्टोर/2022-23/332

दिनांक : 22/03/23

ई-निविदा संख्या .M.Z./2022-23 दिनांक .22-03-2023


राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरणों/मशीनों के क्रय हेतु केवल अधिकृत विक्रेताओं/विनिर्माताओं से ही ऑन-लाईन ई-बिड आमंत्रित की जाती है। आवेदक द्वारा ऑन-लाईन ई-बिड के अन्तर्गत चाहे गये तकनीकी दस्तावेज के साथ धरोहर राशि, निविदा शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के पक्ष में देय होंगे एवं ई-प्रक्रिया प्रोसेसिंग फीस के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक M.D. R.I.S.L. JAIPUR के पक्ष में देय होंगे, दिनांक 05.04.2023 दोपहर 2:00 बजे तक ऑफ लाईन मुख्य रोकड़पाल राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में जमा कराने होंगे। तकनीकी एवं वित्तीय ई-बिड दिनांक 05.04.2023 दोपहर 1:00 बजे तक Online प्रस्तुत की जा सकेंगी।

तकनीकी बिड दिनांक 05.04.2023 को समय सांय 03:00 बजे के पश्चात खोली जावेगी। तकनीकी रूप से योग्य आवेदकों की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी जिसकी सूचना पृथक से प्रेषित की जावेगी।

निविदा प्रपत्र, नियम व शर्तों का अवलोकन राज्य लोक उपापन पोर्टल <http://eproc.rajasthan.gov.in> एवं <http://sppp.raj.nic.in> तथा www.rssc.in पर किया जा सकता है।

किसी भी निविदा, निविदा के अंश अथवा सम्पूर्ण निविदा को बिना किसी सूचना एवं कारण बताये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार परिषद के पास सुरक्षित रहेगा।

आवेदनकर्ता के पास वैद्य डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट-(DSC) जो कि Class-III का होना आवश्यक है, जिसको DSC eproc.rajasthan.gov.in की Website पर रजिस्टर्ड करना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हैल्पडेस्क (eproc-cell) 0141-4022688 or E-mail eproc@rajasthan.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।


(डॉ० गोरधन लाल शर्मा)
आर.ए.एस
सचिव





राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

कार्यालय दरभाष नं० 0141-2744283, फैक्स नं० 0141-2740568, ईमेल आईडी-rsscjaipur@gmail.com

T-2



बोली शुल्क रूपये 500/-

बोली प्रक्रिया शुल्क रूपये 500/-

बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय :- 05.04.2023 समय दोपहर 1:00 बजे तक

तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय :- 05.04.2023 समय सांय 3:00 बजे

विभिन्न खेल उपकरण क्रय हेतु ई-बोली संख्या/2022-23 दिनांक

- ई-बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का स्थाई पता, ई-मेल एवं मोबाईल नं०
- बोलीदाता का :- पै नं.
जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन नं.
- बोली शुल्क की राशि रूपये 500/- मात्र तकनीकी बोली खोलने से पूर्व ऑफ लाईन डी0डी0/बैंकर्स चैक जो कि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के नाम देय हो, द्वारा जमा करानी होगी। डी.डी./बैंकर चैक संख्या दिनांक बैंक का नाम
- बयाना राशि के पेटे राशि रूपये 30,000/- जरिये बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के नाम देय हो, द्वारा जमा करानी होगी। (तकनीकी बिड के साथ संलग्न किया जाता है।) इसके अभाव में कोई भी बोली स्वीकार नहीं की जावेगी। डी.डी./बैंकर चैक संख्या दिनांक बैंक का नाम
- प्रोसेसिंग फीस राशि रूपये 500/- का डी0डी0/बैंकर्स चैक जो कि MD. RISL, Jaipur के पक्ष में देय होगा, संलग्न है। डी.डी./बैंकर चैक संख्या दिनांक बैंक का नाम.....
- बोली जिसे सम्बोधित की जानी है :- सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर।
- तकनीकी बिड/वित्तीय बिड विधिवत ऑन-लाईन प्रस्तुत करनी होगी।
- जी. एस. टी. देयता प्रमाण-पत्र दिनांक 31.03.22 तक का जी.एस.टी.आर.-3बी प्रपत्र में संलग्न किया जाना आवश्यक है।
- दरें एफ. ओ. आर. अर्थात गन्तव्य स्थान यथा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर/जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्रों तक ट्रान्सपोर्टेशन खर्चों सहित तथा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा देय समस्त करों सहित देनी होंगी। वांछित आपूर्ति सामग्री गन्तव्य स्थल पर सुरक्षित पहुँचाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। कार्यादेश जारी होने के 15 दिवस में सप्लाई करना आवश्यक होगा।
- Pre-qualification criteria:** Only those bidders that meet the criteria mentioned below will be considered for qualification

PQ requirement	Criteria	Proof to be submitted
Background	Should be a dealer or manufacturer of sports equipment in year of 2021-22.	Certificate of registration that clearly mention that agency is manufacturer/ authorised dealer of sports equipment. Dealer authorization for financial year 2021-22.
Turnover	Should have minimum turn over of Rs. 30.00 Lacs per year (Last 2 Financial Year i.e. 2020-21 to 2021-22)	Year 2020-21 to 2021-22 का Turn over प्रमाण पत्र पर सीए का यूडीआईएन अंकित के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
Previous work experience	Should have successfully completed order of Govt./Semi Govt./Public Sector departments/ Reputed private Sector/Institutions.	Work order and its completion certificate or Work order and its GST Sales Invoice. Minium Value of 10 Lacs.



- 11. Equipment specifications:** Detailed sports equipment specifications are provided in technical bid document. All technical brochures and certificates should be provided during bid submission. After checking for pre-qualification, the technical committee will compare brochures/technical literature with the required specifications.
- 12. Warranty:** Bidder will have to provide minimum 12 months comprehensive warranty where necessary of sports equipments i.e. if that is permanent nature. In case there is need for repair, same will be done without any additional cost for labour, transport of labour or spare parts. Time given for any repair will be maximum 7 days. Penalty of 1% of equipment supply cost per 7 days will be levied in case equipment is not repaired within the above time frame.
- 13. Delivery Period:** The maximum delivery period for the equipment will be 3 days from the day work order is provided.
- 14. Equipment submission:** In case bidder wants to bid only for selected items and not all items, the rates in BOQ should be filled only for those items. In the final submitted BOQ, if rate is found to be 0, it will be assumed that bidder has not bid for that item. Accordingly, technical documents and samples should also be provided only for those items.
- 15. ई-बिडर को विभिन्न खेल उपकरणों के कैटलॉग/ब्रासर्स पर टेक्निकल बिड में अंकित खेल उपकरण का आईटम संख्या अंकित कर स्वयं के हस्ताक्षर व सील चशपा करना आवश्यक है।**
- 16. ई-बिडर द्वारा विभिन्न खेल उपकरणों के बिड ब्राण्ड एवं स्पेशीफिकेशन्स एवं क्रीड़ा परिषद में जमा नमूनों के ब्राण्ड एवं स्पेशीफिकेशन्स में समानता होनी चाहिए। यदि असमानता पायी जाती है तो सम्बन्धित बिडर के ऐसे आईटम को वित्तीय तुलनात्मक विवरण पत्र में शामिल नहीं किया जावेगा। साथ ही ई-बिडर द्वारा विभिन्न खेल उपकरणों के बिड ब्राण्ड एवं स्पेशीफिकेशन्स एवं क्रीड़ा परिषद में जमा नमूनों के ब्राण्ड एवं स्पेशीफिकेशन्स की टेक्निकल बिड में अंकित खेल उपकरण क्रमवार SOFT COPY तथा हार्ड कापी सील बन्द लिफाफे में रखकर डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के साथ जमा कराना अनिवार्य है।**
- 17. वित्तीय-बिड मूल्यांकन का तरीका:-**
तकनीकी बिड में जो ई-निविदादाता योग्य पाए जावेंगे उन्हीं ई-निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जावेगी। वित्तीय बिड खोले जाने का आशय यह नहीं है कि वित्तीय बिड खोली गयी समस्त ई-निविदादाताओं के समस्त सामग्री की दरों को तुलनात्मक वित्तीय विवरण-पत्र में शामिल कर न्यूनतम दर का चयन किया जावेगा। इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जावेगी।
तकनीकी बिड खोलने के लिए योग्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत खेल उपकरण के कैटलॉग, नमूनों की जाँच क्रय समिति से करायी जावेगी। क्रय समिति की अभिशंषा के आधार पर अनुमोदित सामग्री के ई-निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत दरों को ही तुलनात्मक वित्तीय विवरण-पत्र में शामिल किया जावेगा अर्थात् जिन ई-निविदादाताओं के सामग्री नमूने क्रय समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किए जावेंगे, ऐसे ई-निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री की दरों को तुलनात्मक वित्तीय विवरण पत्र में शामिल नहीं किया जावेगा।
- 18. बोली दाता को निविदा की सामान्य शर्तों की शर्त संख्या 29 में रिक्त छोड़े गये स्थान में खेल उपकरणों की गारन्टी अवधि का उल्लेख करना होगा।**
- 19. बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर करने होंगे।**

बोलीदाता के हस्ताक्षर



निविदा की शर्तें :-

1. बोलीदाताओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से तकनीकी एवं वित्तीय बिड अलग-अलग ऑन लाईन प्रस्तुत की जानी होगी। तकनीकी रूप से सफल बिडर की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी रूप से अस्वीकृत बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. (अ) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना परिषद को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जावेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।
(ब) संविदा के सम्बन्ध में फर्म के किसी भी नये भागीदार/भागीदारों का बोलीदाता द्वारा फर्म से सम्बन्ध स्वीकार नहीं किया जावेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं परिषद को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते प्राप्ति स्वीकृति के लिए बोलीदाता की रसीद को बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा ये संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति डिस्चार्ज होगी।
3. कोई भी डीलर यदि जी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं देगा। इनके बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. बोली ऑन-लाईन प्रस्तुत की जावेगी एवं निर्दिष्ट कॉलमों में प्रविष्टी की जावेगी।
5. दरें सभी लागू करें सहित गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. के आधार पर (एसेम्बल सहित) होंगी अर्थात् परिवहन संबंधी कोई राशि परिषद द्वारा पृथक से देय नहीं होगी।
6. ई-बोलियां उपापन अधिनियम/पारदर्शिता अधिनियम के तत्संबंधी प्रावधानों (धारा-28 आदि) के अधीन रहते हुये उनके खोले जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए विधि मान्य होंगी।
7. बोलीदाता अपनी संविदा या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उपभाडे पर नहीं देगा।
8. बोलीदाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार की अनर्हता होगी। हित विरोधी धारा 80 होगी।
9. विहित समय एवं तारीख के पश्चात् जो भी ई-बोलियां प्राप्त होंगी उन्हें किसी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. यदि बोलीदाता ऐसी कोई शर्त आरोपित करता है जो उसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा।
11. किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सबके लिए या एक या अधिक के लिए अलग बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मर्दों को वितरित करने के अधिकार को क्रेताधिकारी अपने पास आरक्षित रखेगा।
12. प्रदायकर्ता एक आईटम की एक ही दर एवं मेक प्रस्तुत करेगा।

13. बयाना राशि :-

- (क) तकनीकी बोली से पूर्व (2 प्रतिशत बोली सूचना के अनुसार) 30,000/- की बयाना राशि ऑफ-लाईन प्रस्तुत की जायेगी। इसके बिना बोलीओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक में से किसी रूप में जमा करायी जा सकती है।
- (ख) असफल बोलीदाता की बयाना राशि बोली को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथा संभव शीघ्र लौटा दी जावेगी।
- (ग) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण परिषद कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नवीन निविदा के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।

14. बयाना राशि का समपहरण:- बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहरत कर लिया जायेगा:-

- (क) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।
- (ख) जब बोलीदाता विनिष्ट समय के भीतर विहित करार को निष्पादित नहीं करता है।
- (ग) जब बोलीदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।
- (घ) जब वह निर्धारित समय के अन्तर्गत आदेशों के अनुसार सामग्री आपूर्ति करने में असफल रहता है अथवा संतोषजनक सेवाएं देने में असमर्थ रहता है।

15. करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :-

- (क) सफल बोलीदाता को आदेश दिनांक से 3 दिन की अवधि के भीतर नियमानुसार मूल्य के नॉन ज्यूडिशियन स्टॉम्प पेपर पर (जिसका व्यय स्वयं बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा) एक करार-पत्र निष्पादित करना होगा तथा प्रावधित मूल्य जिसके लिए बोली स्वीकार की गई है उसके मूल्य के 2.5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति बोली को स्वीकार किये जाने की सूचना प्रेषित किये जाने की दिनांक से सात दिन में जमा कराई जायेगी।
- (ख) बोली के समय जमा कराई गई बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जायेगा।
- (ग) बयाना/प्रतिभूति राशि पर परिषद द्वारा कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (घ) प्रतिभूति राशि के रूप में नकद रसीद पत्र/शिड्यूल बैंक का ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक मान्य होंगे।

16. प्रतिभूति राशि का समपहरण :- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहरत किया जायेगा:-

- (क) जब संविदा की किसी शर्त/अथवा शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहरत करने के मामले में युक्तियुक्त नोटिस दिया जावेगा इस सम्बन्ध में परिषद के अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
- (घ) कार्य में असफल रहने पर परिषद द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर उसमें जो भी व्यय होगा बोलीदाता से उसकी प्रतिभूति राशि में से अथवा उसको देय

बिल की राशि के भुगतान में से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या प्रवृत्त अन्य किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

17. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा परिषद को उस करार पत्र की निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रति पडत निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।
18. नमूने:- बोली के साथ प्रदाय की जाने वाली सामग्री का नमूना होना अनिवार्य है। प्रत्येक नमूने पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गई किसी मजबूत कागज की पर्ची पर बोलीदाता का नाम, मद (आईटम) की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची (तकनीकी बिड/वित्तीय बिड) में नमूना है, लिखा जायेगा। नमूने पर किसी भी स्थिति में मूल्य अंकित नहीं किया जायेगा।
 - (क) बोलीदाता को प्रत्येक आईटम/उपकरण/उत्पाद की दरें सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित देनी होंगी अर्थात् उत्पाद/उपकरण का नाम/ट्रेड मार्क/व्यापारिक नाम तथा उप नाम यदि कोई हो आदि सहित दरें प्रस्तुत करेगा तथा प्रत्येक का नमूना प्रस्तुत करेगा। नमूने सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर पर प्रदर्शित करने होंगे। मूल्य अंकित करने पर बोली निरस्त की जायेगी।
 - (ख) बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नमूना में वे ही नमूने विचारणीय होंगे जिनके साथ Competent Authorities द्वारा प्रदत्त यथा लागू प्रमाण पत्र संलग्न होगा कि बिड की जा रही सामग्री अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय Norms & Standard की है। इस प्रमाण पत्र के बिना नमूने स्वीकार योग्य नहीं होंगे। यदि किन्हीं आईटम ऐसे हो जिनका सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त प्रकार का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है ऐसे खेल उपकरणों के लिए बिडर द्वारा अप्ण्डरटेकिंग दी जायेगी।
19. अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छः माह तक की अवधि तक निःशुल्क रखा जायेगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रति धारित करने के दौरान उनमें परीक्षण, जांच आदि के दौरान किसी भी नुकसान टूट-फूट हानि आदि के लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगी। निर्धारित अवधि की समाप्ति पर बोलीदाता द्वारा नमूनों को वापस लिया जायेगा। परिषद किसी भी रूप में लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किये जाते हैं तो उन्हें परिषद द्वारा समपहृत कर लिया जायेगा तथा उसकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा।
20. असफल बोलीदाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये नमूनों को 60 दिवस में इकट्ठा किया जायेगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है, उनमें, परीक्षण, जांच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान, टूट-फूट या हानि के लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नहीं लिए जायेंगे उन्हें समपहृत किया जायेगा तथा लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
21. प्रदाय की गई सभी वस्तुएं बोली में निर्धारित संबंधित खेल की विशिष्टा, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, वहां उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए।
22. निरीक्षण एवं परीक्षण :- प्रदाय जब भी प्राप्त किया जायेगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हों वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण ग्रहों में कराया जायेगा। अनुमोदित नमूनों के अनुरूप नहीं होने पर सम्पूर्ण प्रदाय अथवा उसके

अंश को रद्द कर दिया जायेगा। रद्द किये गये प्रदाय को बोलीदाता द्वारा उन्हें परिषद द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलना होगा। रद्द किये गये सामग्री को प्रदायकर्ता 15 दिन की अवधि में हटा लेगा, इसके बाद परिषद किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

23. परिषद के प्राधिकृत अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर प्रदायकर्ता/ठेकेदार के परिसर में जायेगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसे भी हो किसी भी समय सामग्री का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा।
24. परीक्षण प्रभार परिषद द्वारा वहन किये जायेंगे। यदि बोलीदाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कशाना चाहता है या यदि परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है तो परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
25. परिषद इसमें से किन्ही वस्तुओं की खरीद नहीं करती है या बोली में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
26. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों, विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व परिषद से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
27. सफल बोलीदाता को क्रय आदेश जारी तिथि के 15 दिवस के अन्दर प्रदाय करना होगा, तथा उचित पैकिंग करेगा ताकि परिवहन के दौरान नुकसान नहीं हो। परिवहन के दौरान किसी प्रकार की टूट-फूट, नुकसान, हानि या रिसाव या किसी प्रकार की कमी होने के मामले में, बोलीदाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किये जाने पर पायी गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
28. यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित प्रदाय करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश भी निविदा में दी गयी शर्तों पर दिए जा सकेंगे परन्तु शर्त यह है, कि ऐसे पुनःआदेश मूल रूप से खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक के अतिरिक्त प्रदाय के लिए ही होंगे।
29. गारन्टी :-बोलीदाता यह गारन्टी देगा कि खेल उपकरण-सामग्री सुपुर्दगी एवं स्थापित के दिनांक से.....1..... वर्ष अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी, तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने सुपुर्द सामग्री को अनुमोदित कर दिया है, यदि निर्दिष्ट गारन्टी अवधि में आपूर्ति सामग्री गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पायी गयी तो क्रेता अधिकारी ऐसी सम्पूर्ण/आंशिक सामग्री को रद्द करने का हकदार होगा। ऐसी रद्द की गयी सामग्री विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा, माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबन्ध लागू होंगे। बोलीदाता को, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाय, तो वह उस माल को या उसके किसी भाग को, जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदलना होगा अन्यथा बोलीदाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी।

30. परिसमापित नुकसानी :-

- (1) परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा है:-

- (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%
- (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5%
- (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक के लिए 7.5%
- (घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिए 10%
- (2) प्रदाय में विलम्ब अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।
- (3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।
- (4) यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में परिषद को आवेदन करेगा। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
- (5) यदि माल प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।
31. **वसूली** :- परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसे देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त अन्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

32. भुगतान :-

- (क) बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में लोक उपापन नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे। किसी भी सूरत में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (ख) विवादास्पद मदों में राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।
- (ग) उन मामलों में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाये तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित निर्देशों के अनुरूप हों।
33. यदि कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना साध्य नहीं समझा जाए तो क्रेता अधिकारी बोलीदाता को सुनवाई किये जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गई कटौती अन्तिम होगी।

34. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :-

- (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो "पार्टनरशिप डीड" की अनुप्रमाणित प्रति।
- (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
- (iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

- (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
35. संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में या अन्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर परिषद का निर्णय अन्तिम होगा।
 36. समस्त विधिक कार्यवाहियां यदि संरिथत किया जाना आवश्यक हो तो जयपुर स्थित न्यायालय में ही की जाएगी। अन्यत्र नहीं की जाएगी।
 37. जी.एफ. एण्ड ए.आर., राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे।
 38. तकनीकी बिड में संलग्न किये जाने वाले प्रत्येक संलग्नक के आगे क्रम संख्या T-1, T-2, -----T-17 अंकित है संबंधित दस्तावेज के दायें तरफ ऊपर यह संबंधित संख्या हाथ से अंकित करनी है।
 39. जिन आईटम्स की बिड दी जा रही है उनके नमूने भौतिक रूप से राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में नियत तिथी एवं समय तक जमा करवाये जायेंगे। इसके अभाव में तकनीकी बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
(मय नाम पता एवं मोहर)

घोषणा

मैने/हमने राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर में खेल उपकरणों उपलब्ध करवाने की बोली के नियम एवं शर्तों को भली-भाँति पढ व समझ लिया है। The bidder should never ever been blacklisted or debarred by any Central Government department, State Government department, Public Sector undertaking in India नहीं किया गया है। इन शर्तों एवं नियमों के अधीन मैं/हम राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर में खेल उपकरणों उपलब्ध करवाने हेतु सहमत एवं वचनबद्ध हूँ/हैं। यदि मेरे/हमारे द्वारा की किसी बोली की शर्तों, नियमों अथवा आदेशों का उल्लंघन किया जावेगा तो सक्षम अधिकारी द्वारा मेरे/हमारे विरुद्ध बोली के नियम/शर्तों के उल्लंघन की कार्यवाही करने के लिए अधिकृत होगा। इस सम्बन्ध में मुझे/हमें सक्षम/अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा तथा इसमें मुझे/हमको कोई आपत्ति/हस्तक्षेप नहीं है।

हस्ताक्षर बोलीदाता.....

नाम/पता

टेलीफोन नं.

दिनांक

Declaration by Bidder about certifications of Items

In relation to my/our Bid submitted tofor procurement ofin response to their Notice inviting Bids No.....Dated.....I/wehereby declare that:

1. I have submitted certificate issued by competent authorities concerned about Sports Items which are as per standard of International/National level tournaments.
2. Sports item for which the competent authority concerned does not issue quality certificate for level of National/International. I here by declare that sports item supplied by me would be not below the level of National/International standard as per practice.

Place :

Date :

Signature of Bidder

Name Designation :

Address :

BIDDER'S AUTHORIZATION CERTIFICATE {to be filled by the bidder}

To,
{Tendering Authority},

I/ We.....{Name/ Designation} hereby declare/ certify
that

.....{Name/ Designation} is hereby authorized to sign relevant documents on behalf of the
company/ firm in dealing with Tender with RAJASTHAN STATE SPORTS COUNCIL, JAIPUR

He/ She is also authorized to attend meetings & submit technical & commercial information/
clarifications as may be required by you in the course of processing the Bid. For the purpose of
validation, his/ her verified signatures are as under.

Thanking you,

Name of the Bidder: -

Verified Signature:

Authorized Signatory: -

Seal of the Organization: -

Date:


Place:

4. वार्षिक वित्तीय टर्नओवर सूची

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	टर्नओवर राशि (रूपये)
1	2020-21	
2	2021-22	

Last 2 years audited statement from Chartered Accountant (Year 2019-20 to 2020-21).

Turn over प्रमाण पत्र पर सीए का यूडीआईएन अंकित होना आवश्यक है। उपर्युक्त के प्रमाण पत्र हेतु चार्टेड एकाउन्टेन्ट के हस्ताक्षर मय सील की प्रति संलग्न करें।



राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर



कार्यालय दूरभाष नं० 0141-2744283, फ़ैक्स नं० 0141-2740568, ईमेल आईडी-rsscjaipur@gmail.com

ई-निविदा सूचना संख्या / 2022-23

TECHNICAL BID

नोट :-टेक्निकल बिड मय शर्तो, अमानत राशि, दस्तावेजों की सूची एवं निविदा की शर्तो आदि के साथ प्रस्तुत की जावे। टेक्निकल बिड में सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड पर विचार किया जायेगा। प्रत्येक संलग्नक के आगे क्रम संख्या T-1, T-2 ----- T-18 अंकित है संबंधित दस्तावेज के दायें तरफ ऊपर यह संबंधित संख्या हाथ से अंकित करनी है।

1. बोलीदाता का नाम.....
2. डाक का पता एवं ई-मेल पता
3. टेलिफोन नं. (कार्यालय)
- (निवासी)
4. बयाना राशि का विवरण :- डी.डी./बैंकर्स चैक, संख्या.....
- बैंक का नाम.....दि. राशि
5. मैं/हम इस ई-निविदा की समस्त शर्तो से आबद्ध होना स्वीकार करता हूँ/करते हैं।
- करार निष्पादित करने की सहमति देता हूँ/देते हैं।
6. खेल उपकरण सामग्री के नमूने प्रस्तुत कर दिये गये हैं।

टेक्निकल बिड :- विभिन्न खेल उपकरणों की ई-बिड संख्या...../2022-23 दिनांक

1. All Items Should be as per National/International Norms & Standard.

S. No.	Name of the Items & Specifications	Specifications	Unit Per Pair/Pc. /box/set	Product Make/ Brand/Trade Mark etc.	Sample Deposited Yes/No
1	2	3	4	5	6
1	Cricket Bat-K/W Full-Size	Kashmir Willow with Cane Handle, Well Balanced & Striking Power with Fine Grip	PC		
2	Cricket Ball Tennis	Made of fine Felt & Proper Bounce	PC		
3	Stumps With Bails	Made of Wood, Natural or Polished With Wooden Bails, as per norms & standards of ICICI rules	PC		
4	Wicket keeping Gloves	Made of Foam or Leather Material With Cotton or EVA or any Other Protective Material With Rubber Pimpled grip on Palm Side, as per international norms & standards	Pair		
5	Shuttle Cock Plastic	Nylon Material With Base of Cork or Foam, Fixed in Base of Cock With proper Flight, as per international norms & standards	Box		
6	Badminton Racket	Graphite Frame With Graphite Shaft Synthetic Grip with Proper Guttering, as per international norms & Standards	PC		
7	Badminton Net	HDPE Material, Colour Dark Brown	PC		

S. No.	Name of the Items & Specifications	Specifications	Unit Per Pair/Pc. /box/set	Product Make/ Brand/Trade Mark etc.	Sample Deposited Yes/No
1	2	3	4	5	6
		,Mesh Size-15-20 Square mm appox With Tetron Tape on Top end With Proper Eyelets with Nylon dori, as per international norms & Standards			

कार्यादेश की मात्रा के अनुसार क्र.सं. 1 से 7 खेल सामग्री की खेल कीट बैगों में तैयार कर आपूर्ति की जावेगी।

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:
 - (a) Have controlling partners/shareholders in common; or
 - (b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - (c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or
 - (d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
 - (e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
 - (f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Work/supplies or services that are the subject of the Bid; or
 - (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted tofor procurement ofin response to their Notice inviting Bids No.....Dated.....I/wehereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Signature of bidder Place :

Place:

Name :

Designation:

Address:

T-16



Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Dy. Secretary Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan, The designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan.

(1) Filing an appeal:-

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved: Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases:- No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement
- (b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations
- (d) Cancellation of a procurement process
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeals:-

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee,

(c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing Appeal:-

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be nonrefundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of Appeal:-

- (a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority or second appellate authority, as the case may be shall- (i) hear all the parties to appeal present before him; and (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis: i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Work/supplies or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

SCHEDULE 'H': CONDITION OF CONTRACT

FORM No. 1

[See rule 83]

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan
Transparency in Public procurement Act, 2012**

Appeal No.....ofBefore the.....
.....(First/Second Appellate authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the office/authority that passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant propose to be represented by a representative the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal: (Supported by an affidavit)

7. Prayer:.....

Place:.....

Date:

Appellant's Signature

निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची (चैक लिस्ट)

क्र. सं.	विवरण	प्रपत्र संख्या	संलग्न किये गये (हाँ/नहीं)	संलग्न पृष्ठ संख्या
1.	चैक लिस्ट	T-1		
2.	निविदा प्रपत्र मय शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर संलग्न किया। As Acceptance of Terms & Conditions of the tender	T-2		
3.	तकनीकी बिड के साथ बयाना राशि का बैंकर्स चैक/डी.डी. संलग्न है।	T-3		
4.	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है।	T-4		
5.	जी.एस.टी. देयता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्रपत्र जी.एस.टी. आर.-3बी में संलग्न की गई। (केवल 31 दिसम्बर 2021 की)	T-5		
6.	PAN No. की छाया प्रति संलग्न है।	T-6		
7.	Declaration of not Blacklisted.	T-7		
8.	निर्माता/अधिकृत विक्रेता के प्रमाण-पत्र/अधिकृत पत्र की छाया प्रति संलग्न है।	T-8		
9.	बिड की जा रही सामग्री अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय मानक की है, का सक्षम प्रमाण पत्र संलग्न करें।	T-9		
10.	Declaration by Bidder about certification of Items does not issued by authority.	T-10		
11.	Authorization certificate If the tender is signed other than owners	T-11		
12.	Should have minimum turnover of Rs. 15.00 lacs per year (Last 2 financial years i.e. 2020-21 to 2021-22). Turn over प्रमाण पत्र पर सीए का यूडीआईएन अंकित होना आवश्यक है।	T-12		
13.	Should have successfully completed order of Govt. /Semi Govt./Public Sector departments/ Reputed private Sector/Institutions. Successful work completion certificates or GST Sales Invoice to be submitted, as mentioned in point no.10 of pre- qualification criteria.	T-13		
14.	बिड खेल सामग्री के नमूने टेक्निकल बिड में अंकित आईटम संख्या का स्पष्ट उल्लेख कर जमा किये गये हैं।	T-14		
15.	विभिन्न खेल उपकरणों के बिड ब्राण्ड एवं स्पेशीफिकेशन्स एवं क्रीडा परिषद में जमा नमूनों के ब्राण्ड एवं स्पेशीफिकेशन्स की टेक्निकल बिड में अंकित खेल उपकरण क्रमवार SOFT COPY तथा हार्ड कापी सील बन्द लिफाफे में जमा करवा दी गयी है।	T-15		
16.	एनेक्चर A से D हस्ताक्षरित	T-16		
17.	SCHEDULE 'H': CONDITION OF CONTRACT	T-17		
18.	अन्य दस्तावेज जो निविदादाता द्वारा संलग्न किये गये हैं।	T-18		



राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर



कार्यालय दूरभाष नं० 0141-2744283, फ़ैक्स नं० 0141-2740568, ईमेल आईडी-rsscjaipur@gmail.com

ई-निविदा सूचना संख्या/2022-23

FINANCIAL BID

कार्य का नाम :- खेल उपकरणों की आपूर्ति हेतु

1. बोलीदाता का नाम
2. डाक का पता
3. टेलीफोन नं. (कार्यालय).....
(निवास)
4. बयाना राशि का विवरण:-डी.डी./बैंकर्स चेक संख्याबैंक का नाम.....दिनांक.....राशि
5. बोलीदाता द्वारा दरें एफ.ओ.आर. अर्थात् गन्तव्य स्थान यथा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर तक ट्रान्सपोर्टेशन खर्चों सहित तथा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा देय समस्त करों सहित उद्धरित की जानी है।

वित्तीय बिड विभिन्न खेल उपकरण ई-बोली हेतु मैं/हम निम्नानुसार दर प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

FORMAT FOR PRICE QUOTATION OF ITEMS (BOQ)

All Items should be as per National/ International Norms & Standard.

All products prices will be Inclusive of All Taxes.

S. No.	Name of the Items & Specifications	Specifications	Unit Per Pair/Pc. /box/set	Product Make/ Brand/Trade Mark etc.	Rate per No./Pair /Box/Set (Rs.)	Total Cost. (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Cricket Bat-K/W Full-Size	Kashmir Willow with Cane Handle, Well Balanced & Striking Power with Fine Grip	PC			
2	Cricket Ball Tennis	Made of fine Felt & Proper Bounce	PC			
3	Stumps With Bails	Made of Wood, Natural or Polished With Wooden Bails, as per norms & standards of ICICI rules	PC			
4	Wicket keeping Gloves	Made of Foam or Leather Material With Cotton or EVA or any Other Protective Material With Rubber Pimpled grip on	Pair			

S. No.	Name of the Items & Specifications	Specifications	Unit Per Pair/Pc. /box/set	Product Make/ Brand/Trade Mark etc.	Rate per No./Pair /Box/Set (Rs.)	Total Cost. (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7
		Palm Side, as per international norms & standards				
5	Shuttle Cock Plastic	Nylon Material With Base of Cork or Foam, Fixed in Base of Cock With proper Flight, as per international norms & standards	Box			
6	Badminton Racket	Graphite Frame With Graphite Shaft Synthetic Grip with Proper Gutting, as per international norms & Standards	PC			
7	Badminton Net	HDPE Material, Colour Dark Brown, Mesh Size-15-20 Square mm approx With Tetron Tape on Top end With Proper Eyelets with Nylon dori, as per international norms & Standards	PC			

नोट :- वित्तीय बिड ऑनलाईन ही BOQ में अपलोड की जानी है।
उपरोक्त दरे सभी कर सहित है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर